न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 18/2024 बउनवानी लडडू लाल बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर बौली पुत्र श्री भैरू लाल मीना निवासी पुनेता(अजारा) तहसील बौंली

GCMS No-2024/56

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
5.6.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.2.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. उपजिला कलेक्टर बौंली के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 6347 दिनांक 30.10.2023 की पालना में पंचायत समिति बौंली द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट की सम्पूर्ण प्रति ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः प.11()()आरटीआई/सूचना/2024/3625 दिनांक 5.6.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 19.2.2024 मे चाही गयी सूचना, विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली के पत्रांक 66 दिनांक 30.3.2024 से जॉच रिपोर्ट मय दस्तावेजों की प्रति प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली के पत्रांक 3475 दिनांक 25.5.2024 से 30 पृष्ठो की सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.2.2024 मे चाही गयी सूचना (फर्जी पटटे की जॉच रिपोर्ट कुल 30 पृष्ठो) की लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली के पत्रांक 3475 दिनांक 25.5.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:12:47 IST
Reason: SelfAttested

(खुशाल यादव)
जिला कले[illegible]
सवाई मा[illegible]

Scanned with OKEN Scanner